


भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

15 जनवरी 2021

**रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद
की खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) की घोषणा की**

वर्तमान चलनिधि और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2021 को खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें ₹10,000 करोड़ की सकल राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद शामिल है।

2. तदनुसार, रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिभूतियों की खरीद करेगा:

क्रम सं	आईएसआईएन	प्रतिभूति	परिपक्वता की तारीख तारीख	सकल राशि
1	IN0020190396	6.18% जीएस 2024	04-नवंबर-2024	₹ 10,000 करोड़ (प्रतिभूतिवार कोई राशि अधिसूचित नहीं की गई है)
2	IN0020170026	6.79% जीएस 2027	15-मई-2027	
3	IN0020200153	5.77% जीएस 2030	03-अगस्त-2030	

3. रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं:

- प्रत्येक प्रतिभूतियों की खरीद की मात्रा का निर्धारण करना।
- सकल राशि से कम राशि की बोलियां स्वीकार करना।
- पूर्णांकन प्रभाव के कारण सकल राशि की तुलना में कुछ अधिक/कम की खरीद करना।
- कारण दिए बिना संपूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी बोलियाँ स्वीकार या अस्वीकार करना।

4. पात्र प्रतिभागियों को 21 जनवरी 2021 को सुबह 10:00 और सुबह 11:00 बजे के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अपनी बोलियों को प्रस्तुत करना चाहिए। केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियाँ स्वीकार किए जाएंगे। इस तरह की भौतिक बोली निर्धारित प्रपत्र में, जिसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त किया जा सकता है, सुबह 11:00 बजे से पहले वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (ईमेल; फोन नंबर: 022-22630982) को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

5. नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे और सफल प्रतिभागियों को 22 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे तक अपने एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों की उपलब्धता, सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।

6. रिज़र्व बैंक चलनिधि और बाजार की स्थितियों की निगरानी करना जारी रखेगा और वित्तीय बाजारों के क्रमबद्ध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा।

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/954

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक